राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–4

उपस्थितिः–**मा0 श्री विनोद कुमार–III, उपाध्यक्ष (न्यायिक)**

निर्देश याचिका सं0–1283/2023

नीरज कुमार, आयु लगभग 24 वर्ष, पुत्र श्री दयाली सिंह, निवासी फरीदपुर एतमाली, टिगरी, अमरोहा, उ0प्र0।

...याची

बनाम

1– उ0प्र0 राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या।
3– पुलिस अधीक्षक, अमेठी।

..विपक्षीगण

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एन0 मिश्र
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

निर्णय

(मा0 ***श्री विनोद कुमार–III, उपाध्यक्ष (न्यायिक)*** द्वारा श्रुतलेखित)

1. याची नीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुतोष हेतु योजित किया गया हैः–

(i) विपक्षी सं0–3 द्वारा पारित प्रश्नगत बिना वेतन अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) एवं विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 06.05.2023 (अनुलग्नक–5) को अवैध एवं शून्य घोषित करते हुए निरस्त करने तथा उक्त आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप याची को प्राप्त होने वाली सभी पारिणामिक सेवा लाभ मय वेतन भत्ते 18 प्रतिशत ब्याज के साथ विपक्षीगण से दिलाये जाने हेतु आदेशित एवं निर्देशित करने की कृपा करें।

(ii) अन्य कोई त्वरित व लाभकारी उपचार जो मा0 अधिकरण याचिका के विचारोपरांत उचित समझे उसे भी याची के पक्ष में पारित करते हुए याचिका प्रस्तुत करने में आया समस्त व्यय मय अधिवक्ता शुल्क याची को

विपक्षीगण से दिलाये जाने हेतु आदेशित एवं निर्देशित करने की कृपा करें।

2. प्रस्तुत मामले में संक्षेप में याचिका के एवं आरोपित तथ्य इस प्रकार हैं कि याची जब वर्ष 2022 में रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद अमेठी में नियुक्त था, तो वह दिनांक 05.05.2022 को 14 दिवस आकस्मिक अवकाश पर प्रस्थान किया था तथा समय से ड्यूटी पर वापस न आकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गया एव अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर दिनांक 19.05.2022 से 16.09.2022 तक कुल 121 दिवस बाद आमद कराया। याची उक्त अनुपस्थिति अवधि में कोई राजकीय कार्य संपादित नहीं किया। याची के उक्त आरोपित कृत्य के बावत पुलिस अधीक्षक, अमेठी के आदेश दिनांकित 28.10.2022 के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी अमेठी, जनपद अमेठी द्वारा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच संपादित कर प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांकित 06.12.2022 पुलिस अधीक्षक, अमेठी को प्रेषित की गयी, जिसमें याची को दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 16.09.2022 तक कुल 121 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उक्त अनुपस्थिति के संबंध में अपने उच्चाधिकारियों को अवगत न कराये जाने का दोषी पाया गया। उक्त जांच आख्या के आधार पर विपक्षी सं0—3/पुलिस अधीक्षक, अमेठी द्वारा याची के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांकित 12.12.2022 (अनुलग्नक—1) निर्गत करते हुए 08 दिवस के अंदर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु याची को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांकित 21.12.2022 (अनुलग्नक—2) प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात् विपक्षी सं0—3/पुलिस अधीक्षक, अमेठी द्वारा याची के विरूद्ध उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक—4) पारित किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

> *"अतः आरक्षी ना0पु0 नीरज कुमार पीएनओ—192921709 की अनाधिकृत अनुपस्थिति दिनांक 19.05.2022 से 16.09.2022 तक कुल 121 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनुपस्थिति के संबंध में निर्गत कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में "काम नहीं तो दाम नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर बिना वेतन अवधि के रूप में विनियमित/बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।"*

तत्पश्चात उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) से विक्षुब्द्ध होकर याची द्वारा विपक्षी सं0–2 पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या के यहां प्रत्यावेदन योजित किया गया। उक्त प्रत्यावेदन को विपक्षी सं0–2 श्री प्रवीण कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या ने आदेश दिनांकित 06.05.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अस्वीकृत कर दिया।

तदुपरांत याची द्वारा उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर उक्त याचित अनुतोष हेतु इस अधिकरण में प्रस्तुत निर्देश याचिका योजित किया गया है।

3. प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण की तरफ से लिखित विवेचन तथा उसके समर्थन में श्री इलामारन जी, पुलिस अधीक्षक, अमेठी का शपथ पत्र दिनांकित 11.09.2023 योजित किया गया है, जिसमें निर्देश याचिका के अधिकांश कथन को अस्वीकार किया गया है तथा याचित अनुतोष से इंकार किया गया है तथा याची के विरूद्ध पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 एवं प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 06.05.2023 को विधि के अनुरूप पारित आदेश बताया गया है तथा याची की याचिका को सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. प्रस्तुत मामले में याची की तरफ से प्रतिउत्तर शपथ पत्र योजित नहीं किया गया।

5. प्रस्तुत मामले में मेरे द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया और पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।

6. अब प्रस्तुत मामले में इस पहलू पर विचार किया जा रहा है कि क्या याची की उक्त वर्णित कुल 121 दिन की अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति उसके विवशतापूर्ण परिस्थितियों (Compelling Circumstances) में थी या याची के दुराशय (Ill-motive) से प्रेरित होकर मनमाने ढंग से थी?

याची के विरूद्ध यह आरोप है कि याची जब वर्ष 2022 में रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद अमेठी में नियुक्त था, तो दिनांक 05.05.2022 को 14 दिवस आकस्मिक अवकाश पर प्रस्थान किया था तथा समय से ड्यूटी पर वापस न आकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गया एव अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर दिनांक 19.05.2022 से 16.09.2022 तक कुल 121 दिवस बाद आमद

कराया। याची उक्त अवधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा तथा उक्त अवधि में कोई राजकीय कार्य संपादित नहीं किया। प्रस्तुत मामले में याची के उक्त आरोपति कृत्य के संबंध में विपक्षी सं0–3/पुलिस अधीक्षक, अमेठी के आदेश दिनांकित 28.10.2022 के अनुपालन में श्री लल्लन सिंह, क्षेत्राधिकारी अमेठी, जनपद अमेठी द्वारा प्रारम्भिक जांच करके प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांकित 06.12.2022 विपक्षी सं0–3/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को प्रेषित की गयी, जिसमें याची आरक्षी को उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दिये जाने का दोषी पाया गया तथा उक्त जांच में याची आरक्षी नीरज कुमार की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 16.09.2022 तक कुल 121 दिवस काम नहीं तो दाम नहीं (LWP) किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा याची आरक्षी नीरज कुमार का बयान अंकित किया गया, जिसमें याची ने यह कथन किया है कि––"मैंने अपना इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट जनपद हापुड़ में कराया। जहां पर जांचोपरांत मुझे हेपेटाइटिस सी डाक्टर द्वारा बताया गया और दिनांक 18.05.2022 से कुल 31 दिवस भर्ती किया गया था। उसके बाद हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते हुये दवा निरन्तर खाने व पूर्ण रूप से रेस्ट करने की सलाह डाक्टर के द्वारा दिया गया था। मेरा इलाज दिनांक 13.09.2022 तक चला। डाक्टर द्वारा प्रतिमाह रेस्ट करने की सलाह देता रहा। दिनांक 13.09.2022 को जब मेरी तबियत ठीक हो गयी, तो डाक्टर द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट दिनांक 14.09.2022 को दिया गया, जिसमें कार्य सरकार करने हेतु फिट बताया गया। मेडिकल प्रपत्र को लेकर दिनांक 14.09.2022 को ही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अमेठी महोदय से अनुमति प्राप्त कर रिजर्व पुलिस लाइन, अमेठी में अपनी आमद करायी है। मेरी तबियत अत्यधिक खराब थी, जिस कारण मैं अपनी अनुपस्थिति के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचना भी नहीं कर सका थ। श्रीमान जी मैं जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुआ हूं, मेरे समक्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण अनुपस्थित हुआ था। सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अनुपस्थिति अवधि का मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।" **अभिलेखीय साक्ष्य** का वर्णन उक्त जांच आख्या में किया गया है, जिसके अनुसार––"आरक्षी नीरज कुमार पीएनओ–192921709 रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी से क्षेत्राधिकारी लाइन/गौरीगंज से दिनांक 05.05.2022 से 14 दिवस आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी के रो0आम में दिनांक 04.05.2022 को रपट सं0–19 समय 13.10 बजे रवाना होकर अपने घर को गये थे, जिनकी बाद समाप्त अवकाश दिनांक

19.05.2022 वापस आना था, जो नहीं आये, वापस न आने पर रिजर्व पुलिस लाइन के रो0आम में रपट सं0—18 समय 12.05 बजे रपट गैरहाजिरी अंकित की गयी। अपनी अनुपस्थिति के संबंध में उक्त आरक्षी के द्वारा किसी भी माध्यम से कोई सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया था। आरक्षी नीरज कुमार जो दिनांक 16.09.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अमेठी महोदय से अनुमति प्राप्त कर रिजर्व पुलिस लाइन के रो0आम में रपट सं0—28 समय 14.10 बजे 120 दिन 14 घण्टा 10 मिनट अर्थात कुल 121 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर अपनी आमद कराये है, उक्त आरक्षी ने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट, जनपद हापुड़ में दिनांक 18.05.2022 को दिखाने का पर्चा जिसमें डाक्टर ने कुछ दवायें व एक माह का बेड रेस्ट करने की सलाह दी, उसके बाद पुनः दिनांक 20.06.2022, 21.07.2022 व 22.08.2022 को दिखाने का पर्चा संलग्न है, जिसमें डाक्टर द्वारा Follow up case एवं 01—01 Month का Bed rest अंकित है, पर्चा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट, जनपद हापुड़ का लगा हुआ है, परंतु पर्चे पर मुहर Medical Officer PHC Simbhaoli Distt Hapur का लगा हुआ है। Medical Officer PHC Simbhaoli Distt Hapur से सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें दिनांक 18.05.2022 से दिनांक 13.09.2022 तक इलाज कराने व दिनांक 14.09.2022 से कार्य सरकार करने हेतु फिट बताया गया है।" जांच अधिकारी द्वारा उक्त जांच आख्या के **समीक्षा/निष्कर्ष** में यह अंकित किया गया है कि——"उक्त आरक्षी ने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट जनपद हापुड़ में दिनांक 18.05.2022 को दिखाने का पर्चा जिसमें डाक्टर ने कुछ दवायें व एक माह बेड रेस्ट करने की सलाह दी गयी। उसके बाद पुनः दिनांक 20.06.2022, दिनांक 21.07.2022 व दिनांक 22.08.2022 को दिखाने का पर्चा संलग्न है, जिसमें डाक्टर द्वारा Follow up case एवं 01—01 Month का बेड रेस्ट अंकित है। पर्चा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट जनपद हापुड़ का लगा हुआ है, परंतु पर्चे पर मुहर Medical Officer PHC Simbhaoli Distt Hapur का लगा हुआ है। Medical Officer PHC Simbhaoli Distt Hapur से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें दिनांक 18.05.2022 से दिनांक 13.09.2022 तक इलाज कराने व दिनांक 14.09.2022 से कार्य सरकार करने हेतु फिट बताया गया है, आरक्षी नीरज कुमार ने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में किसी भी माध्यम से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया है।———आरक्षी नीरज कुमार पुलिस लाइन अमेठी से 14 दिवस अवकाश दिनांक 05.05.2022 से प्राप्त कर अपना इलाज कराने हेतु घर को गया था, जिनके द्वारा

अपने 14 दिवस अवकाश अवधि में किसी भी डाक्टर से इलाज कराने का कोई मेडिकल पर्चा प्रस्तुत नहीं किया गया है और अवकाश समाप्त होने के एक दिन पहले दिनांक 18.05.2022 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट जनपद हापुड़ में इलाज कराने का पर्चा उपलब्ध कराया गया है। आरक्षी नीरज कुमार के द्वारा अपना इलाज कुल 121 दिवस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट जनपद हापुड़ में ही कराया गया है। उक्त आरक्षी के द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दिया गया है।"

पत्रावली में याची की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जट्ट जनपद हापुड़ का ओपीडी का पर्चा दिनांकित 22.08.2022, 21.07.2022, 20.06.2022, 18.05.2022 एवं मेडिकल सर्टिफिकेट दिनांकित 14.09.2022 दाखिल किया गया है। उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट में याची को दिनांक 18.05.2022 से दिनांक 13.09.2022 तक हेपेटाइटिस–सी की बीमारी से ग्रसित होना बताया गया है तथा उसे उक्त प्रश्नगत अवधि में उक्त बीमारी का इलाज करवाना बताया गया है। प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण की तरफ से ऐसा कोई प्रलेख या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याची की तरफ से उक्त वर्णित जो प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं, वह प्रलेख असत्य या कूटरचित दस्तावेज हों। यहां यह उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पुलिस की सेवा में अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थिति को अत्यन्त गंभीरता से लिया जाता है तथा सामान्यतः उसे Misconduct माना जाता है, किन्तु उसका अपवाद यह है कि यदि उक्त कर्तव्य से अनुपस्थिति किसी Genuine कारण या विवशतापूर्ण परिस्थितियों (Compelling circumstances) यथा किसी गंभीर बीमारी या किसी आकस्मिकता के कारण हो, तो उसे Misconduct नहीं माना जायेगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

अनुपस्थिति Misconduct है या नहीं, इस संबंध में सुस्थापित विधि यह है कि––"<u>Absence must be intentional and deliberate to constitute misconduct, if absence due to compelling circumstances (i.e. serious illness, family emergency, unavoidable situtation), then it cannot treated as misconduct. If absence is not proved wilful emply cannot be held guilty of misconduct</u>."

(i) न्याय दृष्टांत **<u>Krushnakant B. Parmar Vs. Union of India, (2012) (3) SCC 178</u>** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"Absence must be wilful, if due to compelling circumstances, it is not misconduct."**

(ii) न्याय दृष्टांत **State of Punjab Vs. Dr. P.L. Singla, (2008) 8 SCC 469** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"Absence due to illness/justified reason cannot treated as grave misconduct. Punishment must be proportionate."**

(iii) न्याय दृष्टांत **Mithilesh Singh Vs. Union of India, (2003) (3) SCC P-309** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"Long absence may be justify action, but intention and explanation must be examined."**

(iv) न्याय दृष्टांत **L & T Komatsu Ltd. Vs. N. Uday Kumar, (2008) 1 SCC 224** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"Misconduct requires deliberate disobedience not mere absence."**

(v) न्याय दृष्टांत **Chennai Metropolitan Water Supply Vs. T.T. Murali Babu, (2014) 4 SCC 108** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"Habitual absence can be misconduct, but fact explanation are crucial."**

(vi) न्याय दृष्टांत **Dr. S.C. Asthana Vs. State of UP, 2023 SC A.H.C. Lko 45748** के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"Burden on department to prove wilful absence without said finding no misconduct.**

Absence must be wilful to constitute misconduct, if justified (illness circumstances) harsh punishment is illegal."

(vii) न्याय दृष्टांत **Radha Raman Kulsherestha Vs. State of UP, A.I.R. online 2020 Allahabad 204** के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त संदर्भ में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि—— **"Department must proof intention without proof absence not misconduct."**

मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि सिद्धान्त के आलोक में याची के उक्त स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं किसी विपरीत अखण्डनीय साक्ष्य के अभाव में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि याची के उक्त 121 दिवस की अपने कर्तव्य

से अनुपस्थिति को विपक्षीगण/दण्डाधिकारी Wilful Absence साबित करने में असफल रहे हैं। अतएव उपरोक्त प्रलेखों के परिशीलन तथा किसी अखण्डनीय साक्ष्य के अभाव में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि याची की उक्त वर्णित दिनांक 19.05.2022 से 16.09.2022 तक कुल 121 दिवस की अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति याची के विवशतापूर्ण परिस्थितियों (Compelling circumstances) में थी, न कि याची के मनमानेपूर्ण आचरण तथा दुराशय (ill-motive) से प्रेरित होकर।

क्योंकि याची की उक्त वर्णित अवधि की अनुपस्थिति याची की विवशतापूर्ण परिस्थितियों (Compelling circumstances) के कारण थी, अतएव याची की उक्त प्रश्नगत अवधि में अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धान्त के आधार पर बिना वेतन अवकाश स्वीकृत संबंधी आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) अपास्त (Set-aside) किये जाने योग्य है।

7. अब प्रस्तुत मामले में इस पहलू पर विचार किया जा रहा है कि क्या आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) सकारण (Reasoned) एवं मुखरित (Speaking) आदेश है या नहीं ?

याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) सकारण (Reasoned) एवं मुखरित (Speaking) आदेश नहीं है, अतएव मात्र उक्त आधार पर ही याची द्वारा योजित प्रस्तुत निर्देश याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

विपक्षीगण की तरफ से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याची के उक्त तर्क का प्रबल विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आलोच्य आदेश सकारण एवं मुखरित आदेश है।

उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0–3 ने याची के उक्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचार न करके उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है, जबकि आदेश में कारणों को अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय ***(Natural Justice)*** के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण अंग है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 'कारण' किसी आदेश की आत्मा (Soul) होती है, किन्तु आलोच्य आदेश पारित करने में विपक्षी सं0–3 द्वारा अपने आदेश के समर्थन में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है, सकारण आदेश के महत्व को विशिष्ट रूप से Highlight करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजकुमार मेहरोत्रा बनाम स्टेट आफ बिहार तथा अन्य,2006 एससीसी (एलएण्डएस) पृष्ठ–679** में उक्त

संदर्भ में विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः—

> ***"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rules 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the responsent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order therefore, cannot be sustained and must be and is set aside."***

कारण एवं निष्कर्ष के संबंध मेंमाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर,** (1973)2एस0सी0सी0836 में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "कारण और निष्कर्ष" अन्योन्याश्रित हैं और दोनों के मध्य तार्किक संबंध है। उक्त न्याय दृष्टान्त के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः—

> ***"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."***

इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **जी0 वल्ली कुमारी बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसायटी,** 2010(2) एस.सी.सी.497 के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि——**"यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसे सकारण एवं मुखरित (Reasoned and speaking) होना चाहिए और उसमें संगत कारणों का विधिवत उल्लेख होना चाहिए।"** उक्त न्याय दृष्टांत के सुसंगत अंश निम्नवत् हैंः—

> ***"That is requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facet of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."***

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए तथा उसे अपनी निर्दोषिता सिद्ध नहीं करनी होगी, वरन् दण्डादेश/आदेश पारित करने वाले अधिकारी को उसकी दोषिता सिद्ध करनी होती है। विदित है कि याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण/जवाब में जिन कथन, तथ्य एवं आधार का उल्लेख किया गया है, उनके विरूद्ध या उसके खण्डन में विपक्षी सं0–3 द्वारा कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Writ No. 301/2023 State of U.P. through Principal Secretary/Additional Secretary, Home and others Vs Tejpal Gautam निर्णीत दिनांक 13.01.2023 के प्रस्तर–9 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त संदर्भ में निम्नलिखित विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> ***"The punishment order merely states that the respondent did not submit his reply to the show cause notice and the disciplinary authority could not find and material on the basis whereof the respondent could be exonerated of the charges. The disciplinary authority has not mentioned any material which could established the guilt of the respondent. The general principle regarding discharge of the burden of proof applies to the disciplinary proceeding also and for passing an order of punishment it is necessary that the charges against the employee be established so as to prove the guilt and an employee can not be punished merely because he could not prove his innocence."***

इस प्रकार उक्त विवेचन, विश्लेषण तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखों तथा उक्त वर्णित न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के आलोक में उक्त आलोच्य आदेश के परिशीलन से यह पूर्णतया सुस्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4)

सकारण (Reasoned) एवं मुखरित (Speaking) आदेश नहीं है तथा उक्त दण्डादेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय (Natural justice) के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है।

8. अतएव उक्त विवेचन, विश्लेषण तथा उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) के परिशीलन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) विधि सम्मत न होने के कारण विधि की दृष्टि में स्थिर रहने योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) अपास्त (Set-aside) किये जाने योग्य है।

9. मेरे द्वारा याची के विरूद्ध पारित आलोच्य प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 06.05.2023 (अनुलग्नक–5) का भी भलीभांति परिशीलन किया गया, क्योंकि उक्त आलोच्य आदेश में याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन में लिये गये आधार पर सम्यक् विचार सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, बल्कि सरसरी तौर पर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है तथा उक्त प्रत्यावेदन अस्वीकार किया गया है, अतएव उक्त कारणों से उक्त आदेश दिनांकित 06.05.2023 (अनुलग्नक–5) भी विधि की दृष्टि में स्थिर रहने योग्य नहीं है, बल्कि अपास्त (Set-aside) किये जाने योग्य है। पुनश्चः यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आलोच्य आदेश Consequential आदेश है।

10. अतएव उक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर यह निष्कर्षित है कि याची के विरुद्ध पारित उक्त आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) एवं आदेश दिनांकित 06.05.2023 (अनुलग्नक–5) विधि की दृष्टि मे स्थिर रहने योग्य नही है, बल्कि अपास्त (Set-aside) किये जाने योग्य हैं। तद्नुसार याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

11. याची नीरज कुमार द्वारा योजित निर्देश याचिका सं0–1283/2023 स्वीकार की जाती है। याची नीरज कुमार के विरुद्ध विपक्षी सं0–3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.01.2023 (अनुलग्नक–4) तथा विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.05.2023 (अनुलग्नक–5) अपास्त (Set-aside) किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निरस्त आदेशों के आधार पर इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 03 माह के अन्तर्गत याची के रोके गये समस्त पारिणामिक सेवा लाभ, जिसमें याची का उक्त वर्णित अवधि 121 दिवस का नियमानुसार देय वेतन एवं भत्ता भी सम्मिलित है (All

consequential service benefit) उसे प्रदान कराया जाय, जो उक्त आदेशों द्वारा रोके गये हों।

12. प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में उभयपक्ष अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करें।

ह0/–
(विनोद कुमार-III)
दिनांकः– 20 अगस्त, 2026
उपाध्यक्ष (न्यायिक),
उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवॅ उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(विनोद कुमार-III)
दिनांकः– 20 अगस्त, 2026
उपाध्यक्ष (न्यायिक),
उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अर्चना पाल/पी0एस0